



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3828] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 23, 2019/अग्रहायण 2, 1941

No. 3828] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 23, 2019/AGRAHAYANA 2, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2019

का.आ. 4255(अ).—जबकि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (इसमें इसके पश्चात इसे एनडीएफबी कहा गया है) का उद्देश्य अर्थात् "बोडोलैंड की स्वतंत्रता", जिसमें मुख्य रूप से असम के बोडो बहुल क्षेत्र शामिल है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर भारत से उक्त क्षेत्रों को अलग करना है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि एनडीएफबी :-

- (i) पृथक बोडोलैंड को हासिल करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे गैर-कानूनी और हिंसक कार्यकलापों में शामिल रहा है जिनका आशय भारत की सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता को नष्ट करना है या जिनसे भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता नष्ट हो सकती है;
- (ii) पृथक बोडोलैंड बनाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भूमिगत संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना;
- (iii) विधिविरुद्ध और हिंसक कार्यकलापों में शामिल होना और इस प्रकार भारत सरकार तथा असम सरकार की सत्ता की अनदेखी करना तथा लोगों के बीच आतंक एवं भय पैदा करना;
- (iv) अलग बोडोलैंड के निर्माण के लिए अपनी योजनाओं का वित्तपोषण और कार्यान्वयन करने के लिए समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से जबरन धन वसूली में लिप्त होना;
- (v) अपने आतंकवादी और विद्रोही कार्यकलापों को जारी रखने के उद्देश्य से नए काडरों की भर्ती हेतु चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाना;
- (vi) नरसंहार और नृजातीय हिंसा करना, जिसके परिणामस्वरूप लोगों की हत्या होती है, गैर-बोडो लोगों में आतंक और असुरक्षा फैलाने के उद्देश्य से असम के बोडो बहुल क्षेत्रों में रह रहे गैर-बोडो लोगों की सम्पत्ति नष्ट करना;

- (vii) पृथकतावादी कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए देश की सीमाओं पर शिविर और छिपने के स्थान स्थापित करना; तथा
- (viii) पृथक बोडोलैंड बनाने के लिए अपने संघर्ष में हथियारों की खरीद करने तथा अन्य सहायता प्राप्त करने हेतु दूसरे देशों में भारत विरोधी दलों से सहायता प्राप्त करना।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार की आगे यह भी राय है कि एनडीएफबी के हिंसक क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल है :-

- (i) जनवरी, 2015 से हिंसा की घटनाओं में 19 सिविलियनों की हत्या; तथा
- (ii) जनवरी, 2015 से लगभग 62 हिंसक घटनाओं में भागीदारी, जिसमें 55 उग्रवादियों को मारा गया, 450 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 444 हथियार उनसे बरामद किए गए हैं।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उपर्युक्त कारणों से एनडीएफबी के कार्यकलाप देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है तथा यह एक 'विधिविरुद्ध संघ' है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यदि एनडीएफबी के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह संगठन फिर से संगठित हो सकता है, स्वयं को हथियारों से दोबारा लैस कर सकता है, नई भर्तियां कर सकता है, हिंसक, आतंकवादी और पृथकतावादी कार्यकलापों में शामिल हो सकता है, निधियां संग्रह कर सकता है तथा निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बल के कर्मिकों के जीवन को खतरे में डाल सकता है; और इसलिए, ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण एनडीएफबी को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संघ घोषित करना आवश्यक है;

अब इसलिए, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड तथा इसके सभी समूहों, गुटों तथा अग्रणी संगठनों को विधिविरुद्ध संघ घोषित करती है;

केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि एनडीएफबी को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संघ घोषित करना आवश्यक है और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं, के अध्यक्षीन रहते हुए सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 11011/04/2019-एन.ई.व]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2019

S.O. 4255(E).—Whereas the National Democratic Front of Bodoland (hereinafter referred to as the NDFB) has the professed aim namely the “Liberation of Bodoland” consisting largely of Bodo inhabited areas of Assam and to bring the secession of the said areas from India, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that the NDFB has been:-

- (i) indulging in illegal and violent activities intended to disrupt, or which may disrupt, the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland;
- (ii) aligning itself with other undergrounds outfits of the North Eastern Region in furtherance of its objectives to create a separate Bodoland;
- (iii) engaging in unlawful and violent activities thereby undermining the authority of the Government of India and the Government of Assam and spreading terror and panic among the people;
- (iv) indulging in extortion of money from various sections of the society with a view to financing and executing its plans for the creation of a separate Bodoland;

- (v) embarking on a systematic drive for recruitment of fresh cadres with a view to continuing its terrorist and insurgency activities;
- (vi) creating carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property of non-Bodos inhabiting the Bodo dominated areas in Assam with a view to spreading panic and insecurity among the non-Bodos;
- (vii) establishing camps and hideouts across the country's border to carry out its secessionist activities; and
- (viii) obtaining assistance from anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance in its struggle for the creation of a separate Bodoland.

And Whereas, the Central Government is of the further opinion that the violent activities of the NDFB include-

- (i) killing of nineteen civilians in incidents of violence since January, 2015; and
- (ii) involvement in about sixty-two violent incidents since January, 2015 in which fifty-five extremists have been killed, four hundred fifty extremists have been arrested and four hundred forty-four arms have been recovered from them.

And Whereas, the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the activities of the NDFB are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an 'unlawful association';

And Whereas, the Central Government is also of the opinion that unless the unlawful activities of the NDFB are kept under control, the organisation may re-group and re-arm itself, make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds and endanger the lives of innocent citizens and security forces personnel; and therefore, circumstances do exist which render it necessary to declare the NDFB as an unlawful association with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government hereby declares the National Democratic Front of Bodoland, along with all its groups, factions and front organisations, as an "unlawful association";

The Central Government, is of the opinion that it is necessary to declare the NDFB to be an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.11011/04/2019-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.